

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/विविध 1-37/2023

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० अनुपम, सह-प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-220A तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-640 दिनांक-19.01.2015 के आलोक में आदेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक-07.03.2026 तक कुल-218 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1143(25) दिनांक-04.06.2025 के द्वारा निर्गत छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में डा० अनुपम के पक्ष में उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त कुल-730-89-218 = 423 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश आदेय रहेगी।

3. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/विविध1-37/2023- 836/17) पटना, दिनांक :- 01 / 08 / 2025

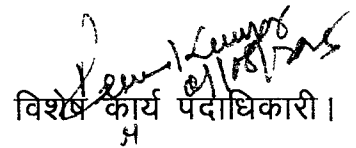
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० अनुपम, सह-प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।